संख्या– 181 /XXXVI(1)/2016-156/2016

प्रेषक,

राम सिंह,
प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 06 अप्रैल, 2016

विषय– राज्य विधिक सेवा प्रधिकरण के अधीनस्थ समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के कार्यालय हेतु 01–01 पद अनुसेवक (कुल 13 पदों) की निरन्तरता बढाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–281/XXXVI(1)/2015-184/2001 T.C.-I दिनांक 30.09.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 राज्य विधिक सेवा प्रधिकरण के अधीनस्थ समस्त 13 जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी बहुकार्यकर्ता के रूप में आउट सोर्सिंग के माध्यम से कुल 13 कार्मिक नियोजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, इन पदों की वर्ष 2016–17 में आवश्यकता के दृष्टिगत दिनांक 01.03.2016 से 28.02.2017 तक की निरन्तरता बढाये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त पर होने वाला व्यय संगत वित्तीय वर्ष के आय व्ययक के अनुदान सं0–04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–06–जिला विधिक सेवा प्राधिकरण–00" के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश उत्तर प्रदेश शासन के वित्त (लेखा) अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप सं0–ए–2–2574/दस–98–24(8)92 लखनऊ दिनांक 02 दिसम्बर, 1998 सपठित ए–1270/76 –दस दिनांक 20.07.1968 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0–ए–2–877/दस–92–24(8)/92 दिनांक 07. 11.1992 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे है।

भवदीय,

(राम सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या– 181(1)/XXXVI(1)/2016-157/2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय भवन, माजरा, देहरादून।
2– महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/समस्त सचिव, जिला विधिक सेवा प्रधिकरण, उत्तराखण्ड।
4– वित्त अनुभाग–5/कार्मिक अनुभाग/एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कहकशा खान)
अपर सचिव